मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
ई–5 पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक /स्था/प्रनिबो/2016 भोपाल, दिनांक

कार्यालय आदेश

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय को प्राप्त शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदन में यह पाया गया है कि शिकायत के परिप्रेक्ष्य में निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा शिकायत में उल्लेखित तथ्यों का ठीक से परीक्षण नहीं किया जाता, तथा शिकायत में उल्लेखित तथ्यों के निराकरण हेतु यथोचित कार्यवाही नहीं की जाकर केवल प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है ।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये भविष्य में शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में निम्न तथ्यों पर समाधानकारक कार्यवाही कर मुख्यालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें :–

- शिकायत पत्र में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार प्रदूषण होने संबंधी स्थिति पर टीप ।
- शिकायत के परिप्रेक्ष्य में उद्योग/संस्थान द्वारा प्रदूषणरोधी की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ।
- उद्योग/संस्थान द्वारा स्थापित प्रदूषणरोधी उपकरणों के संचालन की जानकारी।
- निरीक्षण के दौरान शिकायत में उल्लेखित स्थल की स्थिति दर्शाने वाले फोटोग्राफ ।
- निरीक्षण के समय उद्योग/संस्थान में संचालित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के फोटोग्राफ ।
- प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के साथ संलग्न विद्युत मीटर, उपयोग किये जाने वाले केमिकल आदि की लॉग बुक आदि के फोटोग्राफ ।
- कृपया शिकायत में उल्लेखित तथ्यों के समाधान हेतु सुझाव ।
- समाधान होने के उपरांत पुनः फोटोग्राफ सहित निरीक्षण प्रतिवेदन

भविष्य में शिकायतों के निराकरण में उपरोक्त तथ्यों के अभाव में संबंधितों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

(ए0 ए0 मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ0क्रमांक 1944 /स्था/प्रनिबो/2016 भोपाल,दिनांक 25-5-16

प्रतिलिपि :–

1 निज सचिव, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ
2 प्रशासकीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3 आईटी शाखा/ऑर्डर बुक ।
4 समस्त क्षेत्रीय अधिकारी म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ------- की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।